न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं.– 51/22 गंगासहाय **बनाम कैलाश वगैरह**

किस्ममुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07-07-2022	यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, अभिभाषक श्री उमेश कुमार शर्मा ने प्रस्तुत किया। प्रार्थी अभिभाषक ने बहस में प्रार्थना पत्रानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् निवेदन किया। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या (Prima-Facie) मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये रजिस्टर्ड एडी.नोटिस तलबी किये जाने की शर्त पर आगामी पेशी तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आराजी खसरा नम्बरान 552, 549, 569, 573, 571, 564 स्थित वाके ग्राम बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा की वर्तमान मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस प्रार्थना पत्र जरिये **Registered Ad.** वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18.08.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर(दौसा) दिनांक 18/08/22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में दिनांक 30/08/22 को पेश हो। दिनांक 30/8/22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में दिनांक 13/09/22 को पेश हो।	
13-09-22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित इस प्रा०पत्र से संबंधित मूल वाद Note Press से खारिज हो चुका है। अतः इस प्रा०पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता। दिनांक 07-07-22 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	Not Press [illegible] 13/9/22